

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 26-9-2019

आज पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा वादी की ओर से यह वाद पत्र दिनांक 6-7-10 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी करवाने में कोई रुचि नहीं ली है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण अपने वाद पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा अपने वाद पत्र को चलाना नहीं चाहते है।

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकनील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
महवा (जिला दौसा)

2019/042